



प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1035/2008

याचिकाकर्ता :

श्रीमती सावित्री गोस्वामी, आयु लगभग 50 वर्ष, पति श्री त्रिलोचन गोस्वामी, निवासी ग्राम एवं पोस्ट खैजा, तहसील बलौदा, जिला जांजगीर-चांपा।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण:

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, पंचायत विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर(छ.ग.)
2. अपर कलेक्टर, जांजगीर- चांपा
3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जिला जांजगीर-चांपा
4. श्रीमती बबिता परिहार, आयु लगभग 20 वर्ष, पति नेतराम, निवासी ग्राम खैजा, तहसील बलौदा, जिला जांजगीर-चांपा

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 एवं 227 के अधीन प्रस्तुत याचिका

उपस्थिति:

- याचिकाकर्ता के लिए श्री पराग कोटेचा, अधिवक्ता।
- राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 1 से 3 हेतु श्री सुशील दुबे, शासकीय अधिवक्ता।
- उत्तरवादी क्रमांक 4 के लिए श्री भरत राजपूत, अधिवक्ता (आज प्रस्तुत केविएट याचिका पर)।

मौखिक आदेश

(दिनांक 18.02.2008)

सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश :



सभी पक्षकारों की सहमति से, प्रकरण अंतिम रूप से सुना गया।

उत्तरवादी क्रमांक 4 श्रीमती बबिता परिहार, ग्राम पंचायत खैजा, तहसील बलौदा, जिला जांजगीर- चांपा की निर्वाचित सरपंच थीं। उसे अनुविभागीय अधिकारी, जांजगीर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2007 (अनुलग्नक पी-2) द्वारा, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, जांजगीर के न्यायालय में लंबित दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 607/2007 में उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477-क एवं 409 के अधीन आरोप विरचित किए जाने के कारण निलंबित कर दिया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि अपने निलंबन के पश्चात, उसने अपर कलेक्टर, जांजगीर के समक्ष अपील प्रकरण क्रमांक 2/अ-89(15)/2007-2008 प्रस्तुत की और उक्त अपील में, अपर कलेक्टर, जांजगीर-चांपा ने आक्षेपित आदेश दिनांक 30.11.2007 पारित किया और दिनांक 24.09.2007 को पारित निलंबन आदेश को स्थगित कर दिया।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपर कलेक्टर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 30.11.2007 (अनुलग्नक पी-3) पूर्णतः अधिकारिता के बिना है और शून्य है, प्रथम तो इसलिए क्योंकि निलंबन आदेश पारित होने के पश्चात, मामला धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन राज्य शासन को प्रेषित किया जाना था और मामले को राज्य शासन को प्रेषित करने के बजाय, मामले को अपील में लिया गया और स्थगन प्रदान किया गया तथा द्वितीय यह कि श्री ए.के. तिवारी, अपर



कलेक्टर, जिन्होंने अपील में आदेश पारित किया है, वही व्यक्ति हैं जिन्होंने दिनांक 24.09.2007 को निलंबन आदेश पारित किया था, इसलिए, पूर्ण निष्पक्षता में, भले ही एक अलग क्षमता में, उन्हें अपने स्वयं के आदेश के विरुद्ध उनके समक्ष दायर अपील पर विचार नहीं करना चाहिए था।

दूसरी ओर, उत्तरवादी क्रमांक 4 के विद्वान अधिवक्ता ने अपर कलेक्टर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश का समर्थन किया है।

मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को विस्तार से सुना है और रिट याचिका के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 39(1) निम्नानुसार पढ़ी जाती है:

धारा 39. पंचायत के पदधारी का निलम्बन (1) विहित प्राधिकारी ऐसे किसी पदधारी को पद से निलंबित कर सकेगा-

(क) जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का सं. 45) के अध्याय 5-क, 6, 9, 9-क, 10-12 और अध्याय 16 की धारा 302, 305, 304-ख, 305, 306, 312 से 318 तक, 366-क, 366-ख, 373 से 377 तक और अध्याय 17 की धारा 395 से 398 तक, 408, 409, 458 से 460 तक तथा अध्याय 18 के अधीन या खाद्य सामग्री और औषधि अपमिश्रण के निवारण, स्त्रियों तथा बालक के संबंध में अनैतिक व्यपार दमन और सिविल अधिकारों के संरक्षण ओर भ्रष्टाचार निवारण संबंधी तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन किन्हीं दांडिक कार्यवाहियों में आरोप विरचित किए गए हैं; या

धारा 39(2) यह उपबंध करती है कि उपधारा (1) के अधीन निलंबन के आदेश की प्रतिवेदन 10 दिनों की अवधि के भीतर राज्य शासन को दी जाएगी और वह ऐसे



आदेशों के अधीन होगी जिन्हें राज्य शासन पारित करना उचित समझे। यह आगे उपबंध करती है कि यदि निलंबन आदेश की पुष्टि राज्य शासन द्वारा ऐसी प्रतिवेदन की प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों की अवधि के भीतर नहीं की जाती है, तो इसे रिक्त माना जाएगा।

धारा 39 की इन दो उपधाराओं के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट हो जाएगा कि उपधारा (1) के अधीन निलंबन आदेश पारित करने के पश्चात, संबंधित प्राधिकारी के लिए ऐसे निलंबन की प्रतिवेदन राज्य शासन को देना अनिवार्य है जिसके लिए 10 दिनों की अवधि प्रदान की गई है और किसी भी प्राधिकारी के लिए उपधारा (2) के उपबंधों को दरकिनारा करने और धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन पारित ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील आदि के उपबंधों के साथ शुरू करने के लिए शायद ही कोई स्थान है।

उपधारा (2) के उपबंध यह दर्शाते हैं कि विधायिका ने अपनी पूरी बुद्धिमत्ता में इस उपधारा में "होगा" जैसे शब्द का प्रयोग किया है, जिससे निलंबन आदेश का प्रतिवेदन राज्य शासन को देने का उपबंध अपरिहार्य हो जाता है और आगे यह उपधारा यह भी उपबंध करती है कि यदि शासन ऐसे प्रतिवेदन की प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों की अवधि के भीतर निलंबन आदेश की पुष्टि नहीं करती है, तो आदेश रिक्त माना जाएगा। इसलिए, पूर्ण औचित्य में, यदि संबंधित प्राधिकारी द्वारा धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन निलंबन का आदेश पारित किया गया था, तो उसका प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के भीतर शासन को दिया जाना चाहिए था जो इस प्रकरण में नहीं किया गया है और



पूर्वोक्त उपबंध को दरकिनार करते हुए अपील को अपर कलेक्टर द्वारा स्वीकार किया गया और आक्षेपित आदेश को स्थगित कर दिया गया। यह आश्चर्यजनक है कि श्री तिवारी (अपर कलेक्टर) स्वयं वही व्यक्ति थे जिन्होंने अनुविभागीय अधिकारी की क्षमता में दिनांक 24.09.2007 को निलंबन का आदेश पारित किया था और बाद में उन्होंने स्वयं, एक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में, उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया और आक्षेपित आदेश दिनांक 30.11.2007 द्वारा उस आदेश के प्रभाव और प्रचालन को स्थगित कर दिया है।

इस प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में, आक्षेपित आदेश दिनांक 30.11.2007 को कायम नहीं रखा जा सकता और उसे रद्द किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, निलंबन आदेश के प्रचालन को स्थगित करने के लिए लिए गए आधार भी विधि के अनुसार नहीं हैं। अपीलीय प्राधिकारी ने कहा है कि चूंकि सत्र न्यायाधीश के समक्ष आरोप विरचित करने के आदेश के विरुद्ध एक पुनरीक्षण दायर किया गया है, इसलिए वह आदेश के प्रचालन को स्थगित कर रहे हैं जबकि न तो आरोप विरचन के प्रभाव और प्रचालन को सत्र न्यायाधीश द्वारा स्थगित किया गया है और न ही सत्र न्यायाधीश ने आज तक आरोप विरचन को निरस्त किया है।

पूर्वोक्त कारणों से, याचिका स्वीकार की जाती है। अपर कलेक्टर द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 2/अ-89(15)/2007-2008 में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 30.11.2007 एतद्वारा निरस्त किया जाता है।



उत्तरवादी क्रमांक 4 द्वारा दायर केविएट याचिका को निराकृत माना जाए।

वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

